



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126892

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत आवेदन धारान्तर्गत 482 बीएनएसएस संख्या - 5220 सन्

2026

ज्योति खन्ना

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : पंकज कुमार तिवारी, सौरभ कुमार तिवारी

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार तिवारी की ओर से पेश हुए संक्षिप्तधारक श्री वरुण मिश्रा और राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और अभिलेख देखा।
2. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0158/2026 धारा 318(4), 351(2), बीएनएस पुलिस स्टेशन- कोतवाली शहर, ज़िला- बुलंदशहर में अग्रिम ज़मानत के लिए दी गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे गलत इरादे से इस मामले में फँसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर में आवेदक और चार अन्य सह-आरोपियों के नाम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कथित अपराध से आवेदक का कोई लेना-देना नहीं है। साथ ही, यह भी कहा गया कि आवेदक को डर है कि पुलिस उसे कभी भी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है, जबकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर आवेदक को अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विवेचना/मुक़दमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

5. **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ़ दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1** मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून को अंतिम रूप से तय करते हुए कहा है कि अग्रिम ज़मानत हमेशा सीमित समय के लिए ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उचित मामलों में, यह मुक़दमे के ख़त्म होने तक जारी रह सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि दी गई अग्रिम ज़मानत, आरोपी के आचरण और व्यवहार के आधार पर, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुक़दमे तक जारी रह सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अग्रिम ज़मानत देने की प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, उस व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना भी शामिल है की संभावना, और न्याय से बचने के लिए भागने जैसे देश छोड़कर चले जाना आदि की संभावना पर विचार करना चाहिए। साथ ही, यह भी कहा गया है कि अग्रिम ज़मानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, प्रार्थना पत्र देने वाले की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ज़मानत दी जाए या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

6. अग्रिम ज़मानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले से जुड़ी सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय में, यह मामला आवेदक को परीक्षण तक अग्रिम ज़मानत देने के लिए उपयुक्त है।

7. तदनुसार आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. आवेदक - **ज्योति खन्ना** को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से 15 दिनों के भीतर इस आदेश की प्रति के साथ संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के दो ज़मानतदारों के साथ व्यक्तिगत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बॉन्ड प्रस्तुत करें; और उन्हें परीक्षण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(i) आवेदक मामले में तय तारीख पर संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगी और विवेचना/परीक्षण में सहयोग करेंगी।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देंगी जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगी और यदि उनके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के पास जमा करना होगा।

9. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने का आधार बन सकता है।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

11 जून, 2026

नीतू

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।